यह विधेयक संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, प्रधान मन्त्री का वक्तव्य होगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक पास हो गया है। यह कार्यसूची का एक बहुत महत्वपूर्ण मद थी। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। सभा पहले इस विधेयक के लिए समय बढ़ाने पर सहमत नहीं थी। गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य को कभी रोका नहीं गया है। यह संवैधानिक अधिकार है। (व्यवधान)

महोदय, अब मैं सभा के कार्य को फिर से सूचीबद्ध करना चाहता हूं। पहले साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा 2 बजे अपराह्न और पनामा पर शाम 6 बजे होने वाली थी। मैं सभा को इस बात पर सहमत कराना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा शाम 6 बजे और पनामा पर बाद में हो।

सभापति महोदय : साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा पनामा से पहले होगी। अब, कृपया आप बैठ जाइए।

4.45 म० प०

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

बोफोर्स मामले के बारे में

प्रधानमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, हम बोफोर्स के मामले पर सभा को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने बोफोर्स को भविष्य में ठेका देने पर रोक लगाने का निर्णय किया है और वर्तमान ठेके की पुनरीक्षा करने का भी निर्णय किया है। उस सन्दर्भ में, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि किस पृष्ठभूमि में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

महोदय, अप्रैल, 1987 में जब से यह खबर फैली कि 155 मि० मी० तोप के बारे में भारत सरकार के साथ हुए करार में स्विस बैंक के गुप्त खातों में बोफोर्स द्वारा कमीशन के रूप में भारी रकम दी गई है तब से पूरा राष्ट्र सारे तथ्य जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। भारत सरकार ने तत्काल एक वक्तव्य दिया कि समाचारपत्रों में छपी खबर गलत, निराधार और शरारतपूर्ण थी। तत्कालीन सरकार ने यह भी कहा कि समझौता करने के दौरान "सरकार ने स्पष्ट किया था कि उक्त कम्पनी करार के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई नहीं देगी"। बहुत सारे लोगों को यह विश्वास हो गया कि सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई करेगी, क्योंकि वक्तव्य में यह भी आश्वासन दिया गया था कि "यदि कोई व्यक्ति इस नीति का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ अत्यधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी"।

2. अप्रैल, 1987 में ही कुछ दिन बाद, तत्कालीन रक्षा मन्त्री ने संसद में वक्तव्य दिया कि भारत सरकार विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं के लिए काम कर रहे भारतीय एजेंटों की नियुक्ति का अनुमोदन

नहीं करती है और रक्षा सचिव ने करार के लिए बोली बोलने वाली कम्पनियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि भारत सरकार के ध्यान में यह बात आती है कि किसी विदेशी फर्म ने किसी एजेंट की नियुक्ति की है तो सरकार उस फर्म को ठेका लेने से वंचित कर देगी।

3. स्वीडन नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार को जून, 1987 में प्राप्त हुई थी। हालांकि उस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण भाग स्वीडन सरकार ने भारत सरकार को नहीं दिया था, फिर भी यह स्पष्ट रूप से साबित होता था कि उक्त भारतीय करार के सम्बन्ध में बोफोर्स ने कई व्यक्तियों को बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया है। इसने तत्कालीन सरकार के उन आरोपों का खण्डन कर दिया जिसमें सरकार ने पहले कहा था कि प्रचार माध्यमों द्वारा प्रसारित समाचार झूठे और निराधार थे।

4. रिकार्ड से पता चलता है कि स्वीडन नेशनल ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने पर एक हलचल मच गई थी। तत्कालीन सरकार ने तत्काल यह निर्णय लिया कि सारे मामले की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। तत्कालीन रक्षा राज्य मन्त्री, श्री अरुण सिंह ने 10 जून, 1987 को एक "नोट" लिखा था, जिसे मैं उसी रूप में पूरा उद्धृत करना चाहूंगा। वह नोट इस प्रकार है :

"4 जून को प्रधानमन्त्री कार्यालय में हुई बैठक में हमें सूचित किया गया था कि स्वीडन सरकार ने "बोफोर्स" मामले के सम्बन्ध में अपने नेशनल ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि हमारी सरकार को भेज दी है और स्वीडन सरकार उस दस्तावेज को जनसाधारण को दिखाना चाहती है। इस आधार पर राजनीतिक मामलों की संसदीय समिति में, मंत्रिमण्डलीय समिति में और विपक्षी नेताओं के साथ कई बार विचार-विमर्श हुआ तथा भारत सरकार ने अपना यह निर्णय घोषित किया कि वह स्वीडन सरकार के निष्कर्षों आदि की जांच करने के लिए, एक संसदीय समिति गठित करेगी। उसके बाद हमारे साथ और कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ और न कोई घोषणा ही की गई, सारांश में स्वीडन सरकार ने निम्नलिखित तथ्यों की पुष्टि की है :

(क) भारत में एनाट्रोनिक जनरल कारपोरेशन को 100000 एस० ए० के० प्रतिमाह की अदायगी।

(ख) नवम्बर/दिसम्बर 1986 में स्विटजरलैंड में एक खाते में 3 करोड़ 15 लाख एस० ए० के० की अदायगी। पाने वाले का नाम नहीं बताया गया है किन्तु वह "लोटस" हो सकता है। (वह जो भी हो ?)।

(ग) "समापन" (वाइंडिंग-अप) प्रभारों के रूप में "अन्यों" के करीब 1 करोड़ 75 लाख से 2 करोड़ 50 लाख एस० ए० के० के मध्य में अदायगी।

राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए मैंने निम्नलिखित आधारभूत तथ्यों का उल्लेख किया था :

(क) भारत सरकार की नीति थी कि इस करार के सम्बन्ध में कमीशन के रूप में किसी भी व्यक्ति को कोई अदायगी न की जाए।

(ख) यह नीति उक्त कम्पनी (बोफोर्स) और स्वीडन सरकार दोनों को सूचित कर दी गई थी।

(ग) यह नीति उन दोनों पक्षों को ज्ञात थी और उन्होंने उसको समझने की पुष्टि की सूचना हमें भेज दी थी।

(घ) अत: यदि कोई अदायगी की गई, तो "उस अदायगी में कुछ गड़बड़ अवश्य है।"

"इस तर्क को और आगे बढ़ाते हुए मैं तब यह कहता गया कि हम सरकार के रूप में इस तथ्य का पता लगाने के लिए बहुत इच्छुक हैं कि क्या कुछ भुगतान किया गया है, इसका उल्लेख करें।" यदि हमें पता चलता है कि कुछ भुगतान किया गया है तो हम निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न पर कार्रवाई करेंगे : "क्या भुगतान किया गया? कब भुगतान किया गया? कहां भुगतान किया गया? कैसे भुगतान किया गया? किसको भुगतान किया गया? और क्यों किया गया?" मैं यह समझता हूं कि नेशनल ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की है कि भुगतान किए गए हैं और मैं राज्य सभा में दिए अपने वक्तव्य पर कायम हूं कि इस तरह के किए गए भुगतान भारत सरकार की सभी कथित नीति का भारी उल्लंघन करते हैं जैसा कि बोफोर्स और स्वीडन सरकार—दोनों को सूचित किया गया था और दोनों ने ही इसे स्वीकार कर लिया। अत: इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार के रूप में हमें उन प्रश्नों के रूप में जिन्हें बहस का उत्तर देते हुए मैंने स्वयं अपने उत्तर में उठाया था कि हमें इस मामले को सही परिणाम निकालने तक जारी रखना चाहिए। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने रक्षा विभाग के अधिकारियों से दो पत्रों का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है—एक बोफोर्स के लिए दूसरा स्वीडन सरकार के लिए। इन दोनों पत्रों में हम अपने प्रश्नों के उत्तर मांग रहे हैं। मैं सिफारिश करता हूं कि हम इन पत्रों को स्वीडन में अपने राजदूत के पास भेज दें ताकि वह इन पत्रों को उन्हें सौंप दें। अपने राजदूत से कहा जाए कि वह स्वीडन सरकार और कम्पनी—दोनों को सूचित कर दें कि जब तक वे हमें मांगी हुई सूचना नहीं देंगे तब तक एफ एच 77 बी 155 मि० मी० होविट्जरों का करार रद्द करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा।

"मैं इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत हूं कि इस करार को रद्द कर देने से हमारी रक्षा तैयारी पर इसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा लेकिन आप थलसेनाध्यक्ष से पुन: इस बात की पुष्टि करना चाहेंगे कि क्या हम इन तोपों के बिना काम चला सकते हैं। मेरे विचार से हमें इस करार को रद्द करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि सरकार के रूप में हमारी विश्वसनीयता खतरे में है और इससे भी खराब बात यह है कि रक्षा सम्बन्धी सामान की समस्त खरीद प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी खतरे में है।"

"मैं आपका बहुत आभारी हूंगा यदि आप इस नोट और प्रारूप-पत्रों को देखने के बाद प्रधानमन्त्री महोदय को भेज देंगे।"

श्री अरुण सिंह ने यह नोट तत्कालीन रक्षा मन्त्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया था कि यह नोट तथा बोफोर्स और स्वीडन सरकार को भेजे जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप-पत्र प्रधानमन्त्री को भेज दिए जाएं। श्री पन्त ने सहमति व्यक्त करते हुए इस नोट पर 11 जून, 1987 को हस्ताक्षर करके इसे पूर्व प्रधानमन्त्री के पास भेज दिया।

5. उक्त नोट पर पूर्व प्रधानमन्त्री द्वारा अभिलिखित टिप्पणी इस प्रकार है :

"खेद की बात है कि सभी पहलुओं का मूल्यांकन किए बिना ही रक्षा राज्य मन्त्री/अपर सचिव ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक महत्व दिया है। वे मेरे पूरे सहयोग से रक्षा सम्बन्धी लगभग समस्त कार्रवाई स्वयं करते रहे हैं, अतः मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं परन्तु यह कोई युक्तिसंगत कारण नहीं है जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता किया जा सके। क्या उन्होंने वस्तुस्थिति और सुरक्षा का मूल्यांकन किया है? क्या उन्होंने सौदे को रद्द करने से होने वाली वित्तीय हानि का मूल्यांकन किया है? क्या उन्होंने बोफोर्स द्वारा किसी स्थिति में करार का उल्लंघन किए जाने की मात्रा का मूल्यांकन किया है? यदि हम एकतरफा करार रद्द कर देते हैं, तो क्या उन्होंने हमारी समस्त भावी रक्षा खरीदों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है? क्या उन्होंने यह सोचा है कि भविष्य में इस क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी निर्माता हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? क्या उन्होंने यह सोचा है कि यदि हम ऐसे करार को एकतरफा रद्द कर देते हैं जिसकी शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो भारत सरकार की गरिमा कितनी गिर जाएगी? जहां तक मैं समझता हूं स्वीडन की लेखापरीक्षा रिपोर्ट से भारत सरकार की स्थिति को बल मिलता है और इससे भारत सरकार की स्थिति पर कोई आंच नहीं आती। हमें मामले की तह तक पहुंचकर यह पता लगाने की जरूरत है कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं। घबराहट या जल्दबाजी में किए जाने वाले कार्यों का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षा राज्य मन्त्री ने मंत्रालय को सुचारू रूप से चलाया है परन्तु आतंकित होने का कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जब अन्तःकरण साफ हो।"

6. खेद है कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वारा 15 जून, 1987 को लिखी गई यह टिप्पणी रक्षा मन्त्रालय में 21 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुई जबकि श्री अरुण सिंह कुछ दिन पहले अपने पद से त्याग-पत्र दे चुके थे। परन्तु इस बीच स्वीडन सरकार को पत्र भेज दिए गए थे। रक्षा मन्त्रालय ने 16 जून, 1987 को बोफोर्स को एक कड़ा विरोध-पत्र लिखा जिसमें उन पर करार का उल्लंघन करने और निष्ठापूर्वक दिए गए उस आश्वासन को तोड़ने का आरोप लगाया कि उनके द्वारा कोई एजेंट अथवा बिचौलिया नियुक्त नहीं किया जाएगा। उक्त पत्र में कम्पनी से इन भुगतानों के सम्बन्ध में पूरी और विस्तृत जानकारी की मांग भी की है।

7. जून 1987 के अन्त में मन्त्रालय ने भी भारत के महान्यायवादी से उनकी राय मांगी थी। 4 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुई* महान्यायवादी की राय में मैं उस राय को सभा पटल पर रख रहा हूं—उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि "यदि ए बी बोफोर्स ने किसी भारतीय एजेंट को नियुक्त किया है तो यह करार से पहले की शर्त के विरुद्ध है और भारत सरकार के पास यह विकल्प है कि या तो वे इसे करार का उल्लंघन समझें और उन पर इस क्षति के लिए मुकदमा चलाएं या फिर करार को जारी रखकर उन पर वारण्टी के उल्लंघन का मुकदमा करें। उनका यह भी कहना था कि कोई और अदायगी ऐसी नहीं हो सकती जिसे वे किसी अन्य तथाकथित एजेंसी करार को समाप्त करने के लिए देते क्योंकि उन्होंने 1,00,00 एस ए के की प्रतिमाह अदायगी पर सर्विस करार के सिवाय भारत सरकार को इस प्रकार की कोई बात नहीं बताई थी।

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-265/90]

8. महान्यायवादी ने यह मत भी व्यक्त किया कि "बोफोर्स को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि कम्पनी को मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्तर की गोपनीयता बरतनी है, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में" उन्होंने कहा कि मामला यदि विवाचन अथवा न्यायालय में जाता है तो इस विषय में भारत का कानून लागू होगा और बोफोर्स "कथित बिचौलियों और उनको की गई अदायगियों के सम्बन्ध में ब्यौरे प्रकट करने को बाध्य होगी।" महान्यायवादी ने सलाह देते हुए आगे कहा कि "सरकार को दृढ़ नीति अपनानी चाहिए और बोफोर्स द्वारा करार से पूर्व की शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए चाहे बोफोर्स को यह धमकी देनी पड़े कि उनका करार समाप्त किया जा सकता है।" साथ ही, महान्यायवादी ने यह स्पष्ट किया कि "करार रद्द करने की स्थिति में विवाचन के माध्यम से मुकदमा अवश्यंभावी है। हालांकि भारत सरकार का पक्ष मजबूत है परन्तु मुकदमे अथवा विवाचन के परिणाम के बारे में पहले से कुछ भी कहा नहीं जा सकता।" उन्होंने बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार को तोपों की खरीद के लिए कोई और व्यवस्था करनी पड़ सकती है। परन्तु "यदि बोफोर्स ब्यौरे प्रकठ न करने के अपने रवैये को जारी रखती है तो सरकार के पास सख्त कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा।"

9. उसके बाद जून-जुलाई, 1987 में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सुन्दरजी ने अपनी दो टिप्पणियों में कुछ सिफारिश की थी। उनकी 15 जुलाई, 1987 की टिप्पणी, जो 14 जून को रिकार्ड की गई टिप्पणी जैसी ही है, इस प्रकार है :

"आज सुबह रक्षा राज्य मन्त्री (अ) के कार्यालय में हुई चर्चा के सन्दर्भ में। सामरिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, इस बारे में मेरे विचार अगले परिच्छेदों में दिए गए हैं।"

"यह आवश्यक है कि तोप सौदे के बारे में बोफोर्स या उसके एजेंटों ने विभिन्न व्यक्तियों को जो पैसा दिया है, उसके बारे में हमें पूरी सूचना प्राप्त करनी चाहिए। वे यह सूचना हमें तत्काल दे सकते हैं और यदि वे ऐसा न करें तो हमें उन्हें उनके साथ किए गए करार को रद्द करने की धमकी देनी चाहिए।"

"बोफोर्स ने इस करार के सम्बन्ध में काफी बड़ी धनराशि लगाई हुई है, बड़ी संख्या में इस काम पर कर्मचारियों को लगाया हुआ है और उप-ठेकेदारों को नियुक्त किया हुआ है। इस करार को रद्द करने की धमकी से उनको काफी धक्का लगेगा, जिससे वे यह महसूस करेंगे कि उनके पास हमें पूरी सूचना दिए जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।"

"अगर इस धमकी का भी कुछ फायदा न हुआ और ज्यादा-से-ज्यादा इससे उनके साथ किया गया करार रद्द हो सकता है, मेरा विश्वास है कि 155 मि० मी० तोपों को प्राप्त करने में लगभग 18 महीने से दो वर्ष तक की देरी हो सकती है। मेरा यह विश्वास है कि इतनी देरी होने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और हम इस प्रकार का खतरा उठा सकते हैं। हमारी फील्ड फार्मेशनों की मदद के लिए महत्वपूर्ण तोपखाने में इस तोप की कमी को पूरा करने के लिए उससे बहुत मिलती-जुलती तोप प्राप्त करने के लिए हमें फ्रांस और ब्रिटेन के साथ शीघ्रातिशीघ्र बातचीत शुरू करनी चाहिए। अगर हम फ्रांस और ब्रिटेन दोनों से बातचीत शुरू कर देंगे तो पहले वाला अपनी कीमतों को नहीं बढ़ा पाएगा।"

"संक्षेप में, मैं यह सिफारिश करता हूं कि इस मामले में खोए हुए राष्ट्रीय सम्मान को

पुनः प्राप्त करने के लिए हमें बोफोर्स पर पूरा दबाव डालना चाहिए, ताकि वे हमें वह सूचना दे सकें जो इस मामले में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक है और यह खतरा ले लेना चाहिए, भले ही ज्यादा-से-ज्यादा उनके साथ किया गया करार रद्द ही क्यों न हो जाए।"

10. बोफोर्स ने सितम्बर, 1987 में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान सबसे पहला महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन किया था। तब यह बात सामने आई थी कि 31.9 करोड़ क्रोनर्स, जो तब की विनिमय दरों के आधार पर 64 करोड़ रुपए के बराबर थी, से भी अधिक राशि बोफोर्स ने तीन कम्पनियों को अदा की थी, जिनके नाम हैं—स्वेन्सका, ए० ई० सर्विसिज और पिटको-मोरेस्को-मोईनो। यद्यपि बातचीत का यह रिकार्ड विभिन्न समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, इस रिकार्ड में दिए गए कुछ तथ्यों पर ध्यान देना उपयोगी था। बोफोर्स ने ब्यौरा देते हुए यह स्वीकार किया कि मोरेस्को के मामले में जो अदायगी की गई, वह ऐसे अकाउन्ट में की गई, जिसका कोड-नाम लोटस था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मोरेस्को को छोड़कर शेष अदायगियां सामान्य बैंकों के माध्यम से की गई। यह उल्लेखनीय है कि मोरेस्को को बैंक के माध्यम से अदायगी नहीं की गई। प्रत्यक्षतः यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो इन अनियमित अदायगियों के गुप्त तरीकों की ओर संकेत करता है।

11. रिकार्ड के आधार पर जो तथ्य मेरे सामने आए हैं, उनसे कुछ निश्चित निष्कर्ष निकलते हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :

(एक) बोफोर्स ने करार का उल्लंघन किया और भारतीय करार के सम्बन्ध में एजेंटों या बिचौलियों का उपयोग न करने के बारे में उन्होंने जो पक्का आश्वासन दिया था, उसे तोड़ा। जून, 1987 में रक्षा सचिव, रक्षा राज्य मन्त्री श्री अरुण सिंह और रक्षा मन्त्री श्री के० सी० पन्त ने इस निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से रिकार्ड किया। भारत के महान्यायवादी ने भी 4 जुलाई, 1987 को इस बारे में अपनी यही राय दी थी।

(दो) यह भी सिद्ध हो गया था कि बोफोर्स ने भारतीय करार के सम्बन्ध में बहुत बड़ी धन-राशि अदा की थी और नवम्बर, 1985 में ए० ई० सर्विसिज नामक एक कम्पनी के साथ एक करार किया था, जबकि उससे काफी पहले मई, 1985 में उन्हें भारत सरकार की नीति स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी थी। यह तो स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उन्होंने यह सूचना देना स्वीकार नहीं किया।

(तीन) रिकार्ड में कानूनी राय उपलब्ध है, जिसमें यह स्पष्ट है कि अगर कम्पनियां गलत काम करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही सरकार कमीशन लेने वालों के नाम जानने और उनको अदा की गई राशि वापिस लेने की अधिकारी है।

12. रिकार्ड में यह स्पष्ट है कि उस समय अधिकारी और मन्त्री, सभी का यह विचार था कि इन तथ्यों के आधार पर बोफोर्स के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। कानूनी राय भी यही थी। वस्तुतः महा-न्यायवादी ने भी यही विचार दिए थे कि अगर बोफोर्स की गोपनीयता रखने वाली बात को मान भी लिया जाए, तो मैं उनकी बात को उद्धृत करता हूं—"वे उस शर्त का उल्लंघन कर सकते

हैं, जिस पर कि भारत सरकार ने जोर दिया था और उन्होंने भी यह स्वीकार किया था कि इस करार में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। वे किसी दण्डाभाव के, किसी बिचौलिए के साथ करार कर सकते हैं और गोपनीयता के बहाने तथ्यों को देने से इन्कार कर सकते हैं। यह सही स्थिति नहीं हो सकती है...।"

दूसरे शब्दों में, शर्त अपने आप में बेमानी हो जाती है अगर उन्हें दण्डाभाव के साथ यह इजाजत दी जाती है कि वे ब्यौरा न दें।

13. इन तथ्यों के आधार पर और रक्षा मन्त्रालय के रिकार्ड में उपलब्ध विचारों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार का यह निर्णय लेना स्वाभाविक है कि बोफोर्स के साथ भविष्य में कोई करार न किया जाए।

14. वर्तमान करारों के सम्बन्ध में इस बात को मानना महत्वपूर्ण है कि 1987 में जो स्थिति थी, उसमें करार को रद्द करने या करार को रद्द करने की धमकी देना बहुत असरदार होता। 1987 के मध्य में करार की पूर्ति अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी और उसे रद्द करने से सप्लायर के कार्य-व्यापार को वस्तुतः काफी नुकसान हो सकता था। इसके फलस्वरूप रोजगार के मामले में जो नुकसान होता, उससे न केवल बोफोर्स के लिए गम्भीर स्थिति पैदा हो जाती बल्कि अन्यत्र भी इसका असर पड़ता। दो करारों में से अर्थात् पूर्ति करार और भारत में लाइसेंस पर उत्पादन के लिए लाइसेंस करार में से पूर्ति करार लगभग पूरा हो चुका है और कम्पनी ने अधिकांश वह धनराशि प्राप्त कर ली है, जो उसे देय थी।

15. लाइसेंस करार को कार्यान्वित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य लगभग अन्तिम चरण में है, लेकिन उसका कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है। इन करारों से सम्बन्धित सभी आवश्यक पहलुओं पर हमें अब फिर से विचार करना है।

16. अब तक जो जांच-पड़ताल की गई है, उससे जनता में विश्वास पैदा करने में असफलता मिली है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नवम्बर, 1988 में एक प्रारम्भिक जांच-कार्य शुरू किया और वह भी आय कर से बचने और आय को छिपाने के बारे में है। स्वीडन में स्टाकहोम के पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने इस मामले की जांच-पड़ताल शुरू की थी और सितम्बर, 1987 में इन्टरपोल के माध्यम से सहायता की मांग की थी। इस अनुरोध पर 1 अक्तूबर, 1987 को गृह मन्त्री द्वारा बुलाई गई एक बैठक में विचार किया गया, जिसमें गृह राज्यमन्त्री श्री चिदम्बरम, प्रधानमन्त्री के कार्यालय के विशेष सचिव (ए) और रक्षा सचिव ने भाग लिया और यह निर्णय लिया गया कि इस अनुरोध को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया जाए। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और स्टाकहोम, स्वीडन में पब्लिक प्रॉसीक्यूटर को कोई सहयोग नहीं दिया गया।

17. संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इस मामले में किए गए काम का जहां तक सम्बन्ध है, जिसमें प्रतिपक्षी दलों ने भाग लेने से इन्कार किया था, मैं इसे यहां फिर से नहीं दोहराना चाहूंगा। अप्रैल, 1987 में पहले पहल यह आरोप लगाया गया था। तब से काफी समय बीत गया है और जिनका इस मामले में हाथ था, उन्हें अपने आपको बचाने के लिए काफी समय और मौका मिल गया था। यह वह स्थिति है, जो हमें पिछली सरकार से प्राप्त हुई है।

18. हमारा पहला काम यह था कि सम्बन्धित रिकार्ड की तेजी से जांच की जाए और

वर्तमान स्थिति का फिर-से जायजा लिया जाए, ताकि इस मामले में जांच-पड़ताल करने के लिए जो आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें तेज किया जा सके। हमने यह भी आदेश जारी किए हैं कि बोफोर्स के साथ भविष्य में कोई करार न किया जाए—जैसाकि मैंने पहले कहा है। इससे कम्पनी को यह मालूम हो जाएगा कि हमने इस बात को गम्भीरता से लिया है।

19. निष्कर्ष के रूप में मैं इस सरकार का यह संकल्प दोहराना चाहूंगा कि कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और बिचौलियों को जो पैसा दिया गया है, उसे वसूल किया जाएगा तथा कमीशन लेने वालों का पता लगाया जाएगा। इस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर इस प्रकार की करार शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई न की गई तो भविष्य में ऐसे करारों को करने वाले पक्षों को इस प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करने से नहीं रोका जा सकेगा। हमने जांच-पड़ताल करने वाली एजेंसियों को यह निर्देश दिया है कि वे कानून के अनुसार जांच-पड़ताल और खोज-बीन का काम जारी रखें। सरकारी स्तर पर सारे मामले की समीक्षा की जा रही है और बहुत जल्दी भारत और स्विटजरलैण्ड के मध्य पारस्परिक सहयोग से सम्बन्धित ज्ञापन के अनुसार स्विस प्राधिकारियों के साथ और राजनयिक स्रोतों के माध्यम से विदेशी सरकारों के साथ इस मामले को उठाया जाएगा। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि इस मामले में अन्तिम निष्कर्ष निकलने तक जांच-पड़ताल जारी रखी जाएगी और संसद को तथा जनता को इस बारे में जो भी प्रगति होगी, उसकी जानकारी बराबर दी जाती रहेगी।

5.00 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (सं० 6) विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 26 दिसम्बर, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके नेता खड़े हैं। मैं आपके नेता को मान्यता देता हूं। अब श्री राजीव गांधी बतायेंगे।

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : इस सभा में कल शाम वाद-विवाद में प्रधानमन्त्री ने बोफोर्स